Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 198-2019/Ext.] CHANDIGARH, SUNDAY, NOVEMBER 24, 2019 (AGRAHAYANA 3, 1941 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 24th November, 2019

No. 35-HLA of 2019/97/16492.— The Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Bill, 2019, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 35- HLA of 2019

THE HARYANA PANCHAYATI RAJ (SECOND AMENDMENT) BILL, 2019

A

BILL

further to amend the Haryana Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Panchayati Raj (Second Amendment) Act, 2019. Short title.

2. After clause (lix) of section 2 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (hereinafter called the principal Act), the following clause shall be inserted, namely:- Amendment of section 2 of Haryana Act 11 of 1994.

'(lix-a) "session" means a series of sittings of a Panchayat Samiti or Zila Parishad, as the case may be;'.

3. In section 31 of the principal Act,- Amendment of section 31 of Haryana Act 11 of 1994.

(i) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(1) A Gram Sabha may, by resolution passed by one-tenth of its members, at any time during the period commencing from the 1st day of April and ending on the 31st day of December of any year, direct that intoxicating liquor shall not be sold at any licensed shop within the local area of the Gram Panchayat.";

(ii) in sub-section (2), for the figures and words "31st day of October", the figures and words "15th day of January" shall be substituted.

Amendment of section 66 of Haryana Act 11 of 1994.

4. In section 66 of the principal Act,-

(i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and

(ii) the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that in addition to the aforesaid meetings, every Panchayat Samiti shall hold at least one session in every six months of a duration of not less than two days.".

Amendment of section 126 of Haryana Act 11 of 1994.

5. In section 126 of the principal Act,-

(i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and

(ii) the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that in addition to the aforesaid meetings, every Zila Parishad shall hold at least one session in every six months of a duration of not less than two days.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

(i) There are instances when Gram Panchayats are unwilling to prohibit the opening of intoxicating liquor vends in the Sabha area, while there exists a general demand of local residents who constitute the Gram Sabha that such liquor vends should not be opened in their Sabha area. This legislation will bring about such changes in the Act as would help to give precedence to the views of one-tenth members of Gram Sabha, over and above the opinion of the Gram Panchayat. Further such a resolution may be passed upto 31st December to make the ban effective from 1st April of the next year. It is necessary to amend section 31 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994.

(ii) At present, there is a provision in sections 66 and 126 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 that every Panchayat Samiti and Zila Parishad shall meet at least six times in a year for the transaction of its business, but not much fruitful debate takes place in these meetings due to various reasons. It is necessary to provide for a dedicated forum for meaningful debates in the interest of the concerned Panchayat Samiti and Zila Parishad, a provision may be made in sections 66 and 126 of the Act, to hold at least one session in every six months of a duration not less than two days, in addition to the existing meetings mentioned in sections 66 and 126 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994.

Hence this Bill.

DUSHYANT CHAUTALA,
Deputy Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 24th November, 2019.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2019 का विधेयक संख्या 35.एच०एल०ए०

हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019
हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994,
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है।

1994 का हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 2 का संशोधन।

2. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 के खण्ड (Iix) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

''(Iix-क) ''सत्र'' से अभिप्राय है, पंचायत समिति या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, की बैठक का अनुक्रम;''।

1994 का हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 31 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 31 में,–

(i) उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(1) कोई ग्राम सभा, अपने सदस्यों के 1/10 द्वारा पारित संकल्प द्वारा, किसी भी वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन से प्रारम्भ होने वाली और दिसम्बर के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय निर्दिष्ट कर सकती है कि मादक मदिरा ग्राम पंचायत के स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी अनुज्ञप्त दुकान पर नहीं बेची जाएगी।'';

(ii) उप–धारा (2) में, ''अक्तूबर के इकतीसवें दिन'' शब्दों के स्थान पर, ''जनवरी के पन्द्रहवें दिन'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1994 का हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 66 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 66 में,–

(i) अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

''परन्तु उपरोक्त अधिवेशनों के अतिरिक्त, प्रत्येक पंचायत समिति प्रत्येक छह मास में कम से कम दो दिन की अवधि के लिए कम से कम एक सत्र आयोजित करेगी।''।

1994 का हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 126 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 126 में,–

(i) अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

''परन्तु उपरोक्त अधिवेशनों के अतिरिक्त, प्रत्येक जिला परिषद् प्रत्येक छह मास में कम से कम दो दिन की अवधि के लिए कम से कम एक सत्र आयोजित करेगी।''।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

(i) अक्सर देखने में आया है कि ग्राम पंचायतें अपनी सभा क्षेत्र में नशीली शराब के बिक्री–केन्द्र खोले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने की अनिच्छुक होती हैं, जबकि गांव–वासी, जो ग्राम सभा को गठित करते हैं, की आम मांग रहती है कि उनके सभा क्षेत्र में शराब बिक्री केन्द्र न खोला जाये। इस विधान के तहत अधिनियम में ऐसे बदलाव लायें जायेंगे, जो ग्राम पंचायत के मत के ऊपर, ग्राम सभा के 1/10 सदस्यों के विचारों को प्रथमता प्रदान करने में सहायक होंगे। इसके अतिरिक्त यह प्रतिबन्ध अगले वर्ष की प्रथम अप्रैल से लागू करने के लिए इस बारे प्रस्ताव 31 दिसम्बर तक पारित किया जा सकता है। अतः हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 31 में संशोधन आवश्यक है।

(ii) वर्तमान में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 66 व 126 में प्रावधान है कि प्रत्येक पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अपने कार्य सम्पादन के लिये प्रत्येक वर्ष में कम से कम छह बार बैठक करेगी, लेकिन कई कारणों की वजह से इन बैठकों में फलदायक बहस नहीं हो पाती। पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के हित में सार्थक बहस के लिये समर्पित मंच प्रदान करने हेतु, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 66 तथा 126 में वर्णित वर्तमान बैठकों के अतिरिक्त प्रत्येक छह मास में कम से कम दो दिन की अवधि का एक सत्र बुलाये जाने का प्रावधान अधिनियम की धारा 66 तथा 126 में किया जाना आवश्यक है।

अतः यह बिल प्रस्तुत है।

दुष्यंत चौटाला,
उप मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 24 नवम्बर, 2019.

आर० के० नांदल,
सचिव।

57509—H.V.S.—H.G.P.,Chd.